राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जयप्रकाश बनाम बेगाराम

तारीख हुक्म	855/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी जयप्रकाश की और से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/09/2015 पारित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1349, 1364 वाके ग्राम डेबन के खातेदारान(पक्षकारान) के मध्य दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा कर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2016 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2016 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस की ताईद होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14/06/2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट देवन में नियत किये जाने हेतु अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नही किया गया एवं अपीलार्थी की जानकारी के अभाव में दिनांक 14/06/2016 को ही तैयार कुर्रेजात के आधार पर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2016 को पारित कर दी गयी, जिससे पक्षकारान को आपत्ति का अवसर प्राप्त ही नही हो सका, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत जाहिर नही होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में यह आवश्यक होता है कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत करने की समस्त पक्षकारान को सूचना दी जावे एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार हो तथा कुर्रेजात पर समस्त पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

…आवश्यकता स्वीकार पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जयप्रकाश बनाम बेगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय पारित किया जावे किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का लाभ अपीलार्थी को प्रदान किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक समझा जाता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्राप्त कुर्रेजात पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करने के उपरान्त विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर